क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड

मथुरा

पत्रांकः 980/0-50/2022 दिनांकः 13/01/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मथुरा।

विषयः **<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के संयुक्त निरीक्षण हेतु आप द्वारा दिनांक 07.12.2021 को उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित में किया गया था, उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा एवं इस कार्यालय कार्यालय की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 (प्रति वांयी ओर संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन हेतु मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा का निरीक्षण किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध करना है कि उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा को नामित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त उद्योग का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रेषित की जा सके।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

यथा प्रस्तावित SDM छाता नामित
7/12/2021

उपरोक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, छाता के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.12.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवम् निरीक्षण के दौरान लिये गये दृश्यों का फोटोग्राफ आपके अवलोकनार्थ एवम् अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

अवलोकित। नियमानुसार
क्षे. अ. प्र.।
14/1/2022
RO PCB

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 स0– 1035/2019 माधव दास बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मैं0 अग्रारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 1035/2019 माधव दास बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महादेय, मथुरा द्वारा नामित अधिकारी (उप जिलाधिकारी, छाता) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.12.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री माधव अग्रवाल (निदेशक) एवं श्री राजू, सुपरवाईजर उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उपरोक्त वर्णित उद्योग खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा में स्थापित एवं वर्ष 2018 से संचालित है। उद्योग का वर्तमान भू–प्रयोग धारा–80 राजस्व संकिता 2006 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में रॉ कपास का प्रयोग करके कपास से बीज निकालने का कार्य किया जाता है। कपास से बीज निकालने बाद शेष रूई को टेक्सटाइल यूनिटों को बेच दिया जाता हे जबकि कपास के बीज की पेराई करके उससे तेल निकालने का कार्य भी उद्योग द्वारा किया जाता है। उद्योग का मुख्य उत्पाद बीज रहित कपास (रूई) व तेल है जबकि कपास के बीज की खली सह उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वर्तमान में कपास के बीज से तेल निकालने का कार्य बन्द चल रहा है। कपास के बीज को जानवरों के खाने के उद्देश्य से बेच दिया जा रहा है।
3. उद्योग में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है उक्त के अतिरिक्त जल का प्रयोग अल्प मात्रा में स्प्रिकिलिंग हेतु किया जाता है।
4. कपास से बीज निकालने के दौरान प्रक्रिया उत्सर्जन से रूई के छोटे–छोटे रेशों के वायुमण्डल में उत्सर्जित होने की सम्भावना है, उद्योग में वायु प्रदूषण नियत्रण व्यवस्था के रूप में बैग फिल्टर व वाटर स्प्रिकिलिंग सिस्टम स्थापित है, किन्तु निरीक्षण के दौरान वाटर स्प्रिंकिलिंग सिस्टम अप्रयोज्य स्थिाति में पायी गयी। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित बैग फिल्टर जमीन से लगभग 5.0 मीटर ऊँची चिमनी से सम्बद्ध है, किन्तु स्टैक मॉनीटरिंग हेतु अनुश्रवण छिद्र, प्लटफार्म व सीढी स्थापित नहीं है, बैग फिल्टर्स से निकलने वाला उत्सर्जन चिमनी के माध्यम से वायु मण्डल में उत्सर्जित होता है।
5. निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया, उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि कच्चे माल की अनुपलब्धता एवं उद्योग में अनुरक्षण कार्य चलने के कारण बन्द चल रहा है।
6. उद्योग परिसर के अन्दर उत्पादन प्रक्रिया से जनित धूल एवं काटन के छोटे–छोटे कणों की मोटी परत एकत्रित पायी गयी, जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान परिसर के दृश्यों का फोटोग्राफ संलग्न है।
7. निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग से होने वाले प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढकने की व्यवस्था की गयी है, निरीक्षण के समय तक 3.0–3.0 मीटर चौडी नौ ग्रीन नेट से लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल (कार्यरत परिसर) को कवर्ड किया गया है। निरीक्षण के दौरान परिसर के अन्दर लिये गये फोटो का फोटोग्राफ संलग्न है।
8. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 21.12.2021 को बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया था, निरीक्षण के दौरान परिसर में कच्चे माल का भण्डारण पाया गया था, किन्तु निरीक्षण के दौरान परिसर में कच्चा माल उपलब्ध नहीं पाया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा दिनांक 22.12.2021 व दिनांक 28.12.2021 के मध्य उद्योग का संचालन किया गया।
9. निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के समुचित रख–रखाव एवं नियमित संचालन के बिना उद्योग का संचालन न किया जाये तथा उद्योग संचालित होने के एक सप्ताह के अन्दर एन0ए0बी0एल0 से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्टैक मानीटरिंग एवं परिवेशीय वायु गुणता की जॉच कराकरके रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये।
10. निरीक्षण के दौरान उद्योग स्वामी को निर्देशित किया गया कि उद्योग का संचालन इस प्रकार से ही किया जाये कि आस–पास के परिवेशीय वायु गुणता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं।

06/01/2022		
(डी0के0 गुप्ता)	(अरविन्द कुमार)	(कमलेश कुमार गोयल)
सहा0पर्या0 अभियन्ता	क्षेत्रीय अधिकारी	उप जिलाधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	तहसील–छाता
मथुरा।	मथुरा।	मथुरा।

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।

प्रवलोकित। नियमानुसार कार्यवाही करें। 10/1/22

उप जिलाधिकारी, छाता एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा मैं0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा का दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण के दौरान लिये गये दृश्यों का फोटो ग्राफ

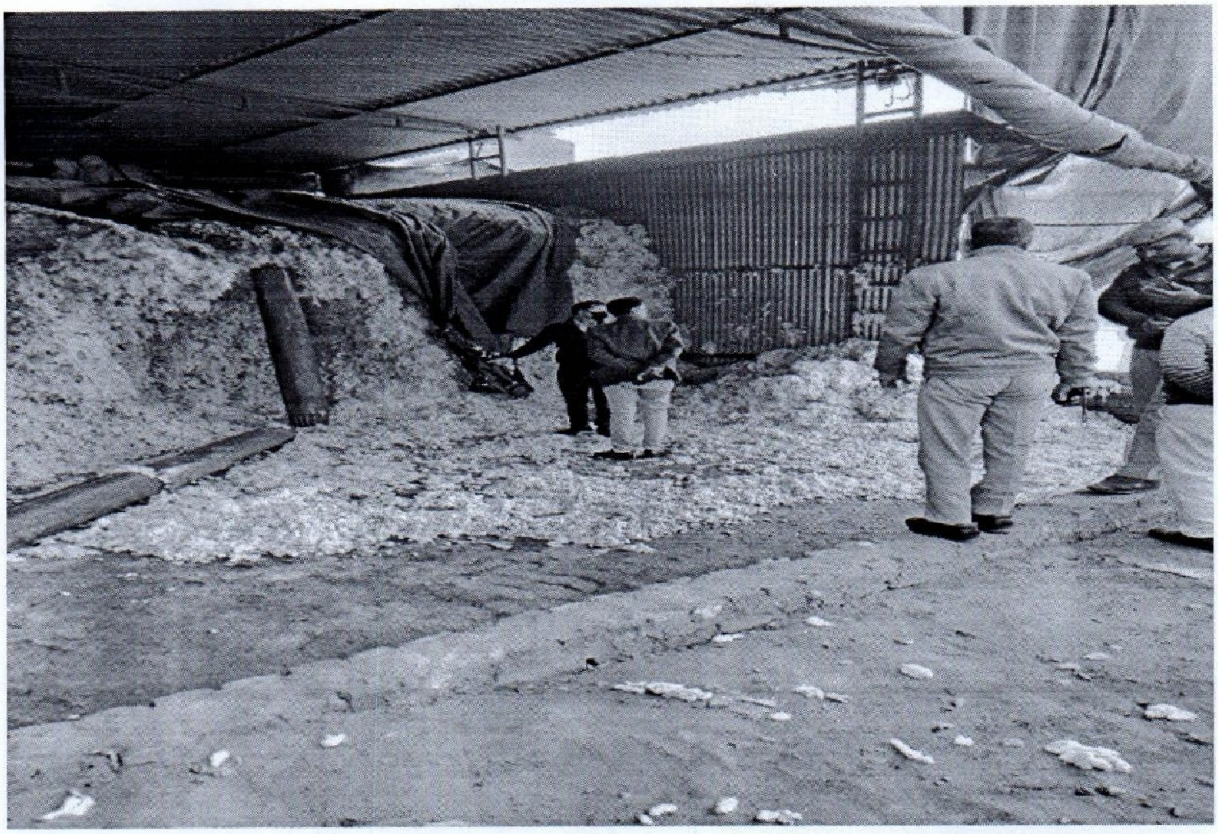

उप जिलाधिकारी, छाता एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा मैं0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा का दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण के दौरान लिये गये दृश्यों का फोटो ग्राफ

उप जिलाधिकारी, छाता एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा मैं0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा का दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण के दौरान लिये गये दृश्यों का फोटो ग्राफ

उप जिलाधिकारी, छाता एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा मैं0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा का दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण के दौरान लिये गये दृश्यों का फोटो ग्राफ

न्यायालय उप जिलाधिकारी छाता जनपद मथुरा।

वाद संख्या /2016–17

... प्रवाल आदि

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार
अन्तर्गत धारा– 80 राजस्व संहिता 2006
मौजा– गुहेता 10 विसा तहसील छाता (मथुरा)

आदेश

राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत प्रार्थिया श्रीमती शशी अग्रवाल पत्नी सतीश अग्रवाल व ... पत्नी माधव निवासी 4318 बल्देव गंज कोसीकला तहसील छाता जिला मथुरा द्वारा दिनांक ... को एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण मौजा गुहेता 10 ... खाता संख्या 250 ख0स0 286, रकवा 0.409 है0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है। ... पालन, मत्स्य पालन, बागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि आवादी ... लाई जा रही है। अन्त मे प्रार्थीगण ने अनुरोध किया है कि उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाए। प्रश्नगत प्रकरण की जाच तहसीलदार छाता से कराई गई। तहसीलदार छाता ने अपनी जाच आख्या ...2017 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रार्थीगण मौजा गुहेता 10 विसा के खाता संख्या 250 ख0स0 ... 0.409 है0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है। यह कि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन ... पालन आदि के प्रयोजन मे लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि आवादी के प्रयोजन मे लाई जा रही ... आवादी के प्रयोजन मे लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि पर सडक पढ चुकी है तथा निर्माण कार्य ... हेतु नकल खतौनी, खसरा, शपथ पत्र, नजरी नक्शा, फोटोग्राफ संलग्न है। आवेदक द्वारा खसरा ... .409 है0 पर जिलाधिकारी मथुरा की दर सूची के अनुसार 55 लाख रू0 प्रति0 हेक्टयर के अनुसार ... /– रू0 की मालियत पर पर 1 प्रतिशत 22500/–रू0 को लेखाशीर्षक 0029 मे चालान संख्या C... ...2017 को जमा किया जा चुका है। चालान की प्रति पत्रावली पर संलग्न है। अन्त मे उक्त भूमि ... घोषित किए जाने हेतु जाच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

... प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार छाता की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 27.3.2017 ... उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ ... घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर भविष्य मे कृषि कार्य होता पाया जाता है तो भूमि ... राजस्व इत्यादि योजित कर दिया जायेगा।

... के अन्तर्गत अकृषक	– धारा 80 राजस्व संहिता 2006
... जा रही है।	
... ग्राम मे स्थित है।	– गुहेता 10 विसा
... विवरण	– खाता संख्या 250 ख0स0 286, रकवा 0.409 है0
	– 4.05 रू0
... का नाम व पता	– प्रार्थिया श्रीमती शशी अग्रवाल पत्नी सतीश अग्रवाल व श्रीमती ... पत्नी माधव निवासी 4318 बल्देव गंज कोसीकला तहसील छाता ... मथुरा।

आदेश की प्रति तहसीलदार, छाता को राजस्व अभिलेखो मे इन्दराज कराने हेतु व उप निबन्धक ... आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। तहसीलदार छाता की रिपोर्ट आदेश का अंग रहेगी। वाद आवश्यक कार्यवाही ... दाखिल दफ्तर की जावे।

(गुलाब चन्द)
उप जिलाधिकारी छाता

13/4/17

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

पत्रांकः 980/0-50/2022 दिनांकः 13/01/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मथुरा।

विषयः **<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के संयुक्त निरीक्षण हेतु आप द्वारा दिनांक 07.12.2021 को उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित में किया गया था, उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा एवं इस कार्यालय कार्यालय की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

पत्रांकः 980/0-50/2022 दिनांकः 13/01/2022

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
मथुरा।

विषयः **<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के संयुक्त निरीक्षण हेतु आप द्वारा दिनांक 07.12.2021 को उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित में किया गया था, उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा एवं इस कार्यालय कार्यालय की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.12.2021 को निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी